" न्यू ब्रिलिऐंट डेवलपमेन्ट फाउण्डेशन "

की

नियमावली

1. **संस्था का नाम** :- **" न्यू ब्रिलिऐंट डेवलपमेन्ट फाउण्डेशन "**

2. **परिभाषा**

2.1- संस्था से अभिप्राय है :- **" न्यू ब्रिलिऐंट डेवलपमेन्ट फाउण्डेशन "**

2.2- समिति से अभिप्राय है :- संस्था की कार्यकारिणी समिति ।

2.3- पदाधिकारी से अभिप्राय है :- अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष ।

2.4- वर्ष से अभिप्राय है :- 01ली अप्रील से 31 मार्च तक ।

2.5- एक्ट से अभिप्राय है :- सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 21, 1860

3. **सदस्यता**

कोई भी महिला एवं पुरूष जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक की हो तथा संस्था के नियमों एवं उद्देश्यों का पालन करते हो वे इस संस्था के सदस्य बन सकते है । सदस्यता ग्रहण करने हेतु उन्हें विहित प्रपत्र में आवेदन देना होगा, जिसकी स्वीकृति या अस्वीकृति कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रदान की जायेगी । संस्था के प्रत्येक सदस्य को 51/- रूपये प्रवेश शुल्क एवं 121/- रूपये वार्षिक सदस्यता शुल्क देना होगा ।

4. **सदस्यता से विमुक्ति :-**

निम्नलिखित दशाओं में सदस्यों की सदस्यता समाप्त की जाएगी ।

4.1- स्वयं त्याग पत्र देने पर ।

4.2- पागल या मृत्यु होने पर ।

4.3- समिति द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करने पर ।

4.4- लगातार तीन वर्ष तक सदस्यता शुल्क नहीं देने पर ।

4.5- बिना सूचना के लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर ।

4.6- न्यायालय द्वारा दंडित होने पर ।

5. **कार्यकारिणी समिति का गठन :-**

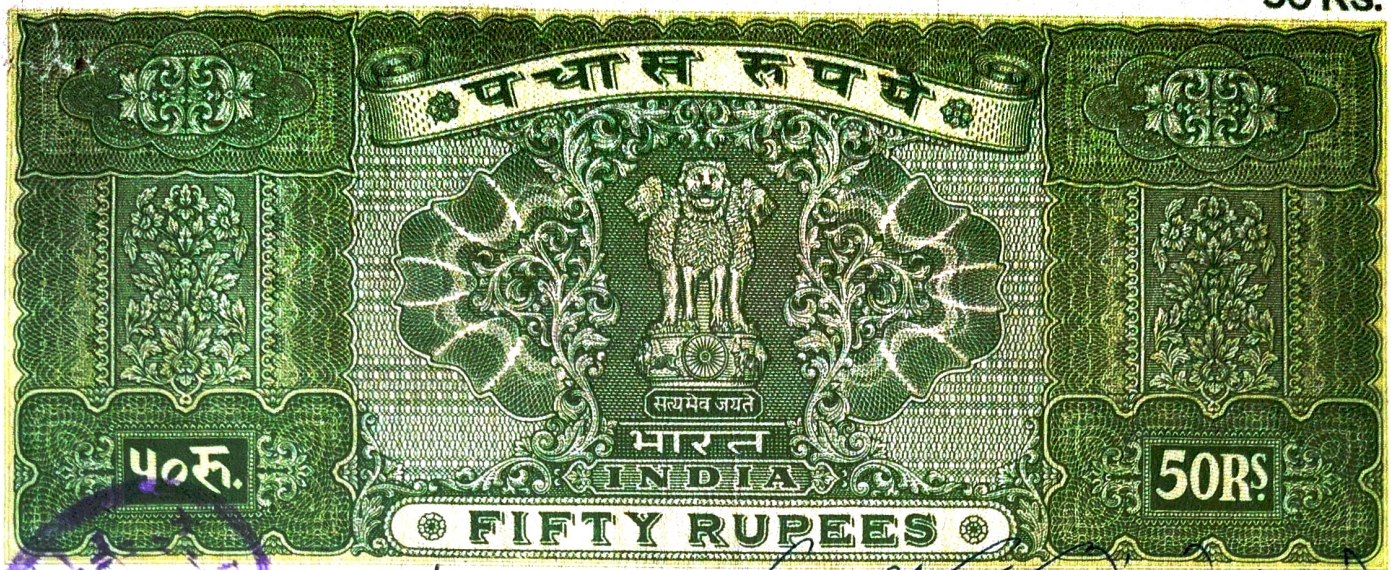
5.1- कार्यकारिणी समिति में पदाधिकारी सहित 07 (सात) सदस्य होंगे ।

5.2- कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव आमसभा द्वारा किया जाएगा ।

5.3- कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल पाँच वर्षो का होगा । निवृत्त सदस्य पुनः चुने जा सकते है ।

5.4- अगर समिति में कोई पद रिक्त होगा तो उक्त पद पर समिति किसी सदस्य को मनोनीत कर सकती है । लेकिन वार्षिक बैठक में उसे विधिवत चुनाव करा लेना होगा । चुने हुए पदाधिकारी एवं सदस्य अपने पद के अनुरूप कार्य करेंगे ।

50 Rs.



" न्यू ब्रिलिऐंट डेवलपमेन्ट फाउण्डेशन "

का

स्मृति–पत्र

1. संस्था का नाम :– " न्यू ब्रिलिऐंट डेवलपमेन्ट फाउण्डेशन "

2. प्रधान कार्यालय :– इस संस्था का प्रधान कार्यालय– ग्राम– नौगढ़, पो0– नेवारी, थाना– मखदुमपुर, जिला– जहानाबाद पिन कोड– 804425 (बिहार) में रहेगा । आवश्यकतानुसार कार्यालय स्थान परिवर्त्तन की सूचना 15 दिनों के अन्दर निबंधन विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग को दे दी जायेगी ।

3. कार्यक्षेत्र :– इस संस्था का कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष होगा ।

4. उद्देश्य :– इस संस्था के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य होंगे :–

1. संस्था द्वारा युवा–युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु तकनीकी, गैर तकनीकी शिक्षा का व्यवस्था कराना जिससे वे शिक्षा ग्रहण कर स्वावलम्बी हो सकें ।
2. शिक्षित वेरोजगार युवक–युवतियों को स्वावलम्बी बनाने हेतु टंकण कला, आशुलिपि, कम्प्यूटर, इलेक्ट्रोनिक्स के विकास हेतु प्रशिक्षण देना एवं स्वावलम्बी बनने में मदद करना ।
3. समाज में व्याप्त निरक्षरता के उन्मूलन हेतु शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना । विभिन्न स्थानों पर और विभिन्न स्तरों की शिक्षण संस्थान का संचालन करना । मेधावी गरीब छात्र–छात्राओं को प्रोत्साहित करना एवं उच्च शिक्षा ग्रहण करने में मदद करना ।
4. समाज के गरीब, दलित, महादलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, कमजोर वर्गो, के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक,नैतिक विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना ।
5. महिलाओं को रोजगारोन्मुख बनाने हेतु सिलाई, कटाई, बुनाई, पेन्टिंग, मधुबनी पेन्टिंग, एपलिक, सौन्दर्य एवं प्रसाधन एवं अन्य व्यवसायिक प्रशिक्षण देना एवं स्वावलम्बी बनाने में मदद करना ।
6. महिलाओं एवं बच्चों के चौमुखी विकास हेतु महिला मंडल, स्वयं सहायता समूह, पालना गृह, पौष्टिक आहार केन्द्र, महिला सशक्तिकरण आदि कार्यक्रमों का संचालन करना ।
7. समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे बाल–विवाह, वेश्यावृति, दहेज–प्रथा, सम्प्रदाय–वाद ईत्यादि की समाप्ति करने हेतु विभिन्न कार्यक्रम, संगोष्ठियों, शिविर, पदयात्रा, प्रतियोगिताओं आदि का आयोजन करना । आदर्श विवाह एवं अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करना ।
8. लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना । परिवार कल्याण शिविर, टीकाकरण शिविर एवं अन्य स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करना । असाध्य रोग, एड्स, कैंसर, टी0बी0, कालाजार, हेपेटाईटिस आदि से बचने हेतु आवश्यक जानकारी देना एवं ग्रसित लोगों को चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना तथा स्वास्थ्य केन्द्र के साफ–सफाई एवं अन्य कार्यक्रमों का संचालन करना ।
9. समाज के गरीब एवं निःसहाय लोगों के आर्थिक विकास हेतु लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, खादी ग्रामोद्योग, मत्स्यपालन, मधुमक्खीपालन, रेशमकीट पालन, पशुपालन, डेयरी उद्योग, फल एवं खाद्य प्रसंस्करण का प्रशिक्षण देना एवं स्वावलम्बी बनने में मदद करना । जनवितरण प्रणाली संबंधित कार्य करना ।

8. **आम सभा के अधिकार एवं कर्त्तव्य :-**

8.1- समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का निर्वाचन करना ।

8.2- संस्था के आय-व्यय लेखा पर विचार कर स्वीकृति देना ।

8.3- उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

8.4- अंकेक्षक की नियुक्ति करना ।

9. **बैठक :-**

9.1- कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में होगी ।

9.2- आमसभा की बैठक प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह में होगी ।

9.3- कार्यकारिणी समिति एवं आमसभा की विशेष बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है।

10. **बैठक की सूचना :-**

10.1- आम सभा के बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व दी जाएगी ।

10.2- आम सभा की विशेष बैठक की सूचना 10 दिन पूर्व दी जाएगी ।

10.3- कार्यकारिणी समिति की बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व दी जाएगी ।

10.4- कार्यकारिणी समिति की विशेष बैठक की सूचना 4 दिन पूर्व दी जाएगी ।

10.5- बैठक की सूचना, सूचना पंजी पर हस्ताक्षर प्राप्त कर या डाक द्वारा दी जाएगी ।

11. **प्रार्थित बैठक**

दो तिहाई सदस्यों की लिखित मांग पर सचिव को एक माह के अन्दर बैठक बुलाना होगा । यदि सचिव उक्त अवधि के अन्दर बैठक का आयोजन नहीं करते है तो आवेदक को अधिकार होगा कि आवेदन पत्र में लिखित विषय के लिए बैठक का आयोजन कर सकते हैं ।

12. **कोरम (गणपूर्ति)**

प्रत्येक बैठक का कोरम कुल सदस्यों का दो तिहाई बहुमत होगा । कोरम के अभाव में बैठक स्थगित हो जाएगी और पुनः स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्कता नहीं होगी ।

13. **आय का श्रोत :-**

13.1- सदस्यता शुल्क एवं प्रवेश शुल्क ।

13.2- सरकारी, गैर सरकारी, दान, अनुदान एवं सहायता ।

14. **निधि का अंकेक्षण :-**

14.1- संस्था की आय-व्यय का लेखा नियमित रूप से रखा जाएगा तथा आमसभा द्वारा नियुक्त अंकेक्षक से प्रतिवर्ष अंकेक्षण कराया जाएगा ।

14.2- निबंधन महानिरीक्षक अपने विवेक से जब भी चाहे संस्था का अंकेक्षण किसी मान्यता प्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से करा सकते हैं । जिसका शुल्क संस्था द्वारा वहन किया जाएगा ।

15. **कोष का संचालन :–**

संस्था के सभी कोष को किसी बैंक या डाकघर में संस्था के नाम पर जमा किया जायेगा, जिसकी निकासी अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से की जायेगी ।

16. **पंजी का निरीक्षण :–**

संस्था की सभी पंजियाँ निबंधित कार्यालय में जमा रहेगी, जहाँ कोई भी सदस्य सचिव की अनुमति से सदस्य पंजी, लेखा पंजी एवं कार्यवाही पंजी का निरीक्षण कर सकते है ।

17. **नियमावली में संशोधन :–**

नियमावली में संशोधन आमसभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जाएगा ।

18. **कानूनी कार्रवाई –**

संस्था पर या संस्था के द्वारा कानूनी कार्रवाई सचिव के पदनाम से होगी तथा अधिवक्ता की नियुक्ति समिति की सलाह से की जायेगी ।

19. **विघटन एवं विघटनोपरान्त सम्पत्ति की व्यवस्था :–**

19.1– संस्था का विघटन संस्था अधिनियम 1860 के धारा– 13 के आलोक में सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किया जायेगा ।

19.2– आमसभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही संस्था का विघटन किया जायेगा ।

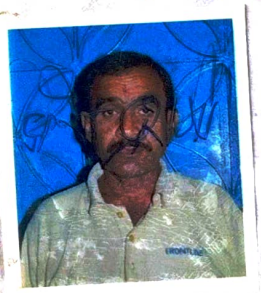
19.3– विघटन के उपरान्त जो चल एवं अचल सम्पत्ति बचेगी वह किसी सदस्य या गैर सदस्यों में नहीं बांटी जायेगी बल्कि आम सभा की सहमति से समान उद्देश्य वाली संस्था या सरकार को दे दी जायेगी ।

.....

प्रमाणित किया जाता है कि यह नियमावली की सच्ची प्रति है ।

अध्यक्ष	कोषाध्यक्ष	सचिव

6. निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम, पिता/ पति का नाम, पता, पेशा एवं हस्ताक्षर नीचे दिया गया है, वर्त्तमान के स्मृति -पत्र के अनुसार संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860 के अन्तर्गत निबंधन के आकांक्षी है ।

क्र0	नाम, पिता/ पति का नाम	पता	पेशा	स्वहस्ताक्षरित फोटो	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती प्रियंका कुमारी पति-श्री संजीत कुमार	ग्राम- महुअरी, पो0- कमालपुर, थाना- टेकारी, जिला- गया ।	समाज सेवा		प्रियंका कुमारी
2	श्रीमती निभा कुमारी पति-श्री नितीश कुमार	ग्राम- नौगढ़, पो0- नेवारी, थाना- मखदुमपुर, जिला- जहानाबाद ।	समाज सेवा		निभा कुमारी
3	श्री वीरेन्द्र शर्मा पिता-स्व0 यमुना सिंह	ग्राम- नौगढ, पो0- नेवारी, थाना- मखदुमपुर, जिला- जहानाबाद ।	समाज सेवा		वीरेन्द्र शर्मा
4	श्रीमती पिंकी कुमारी पति-श्री रजनीश कुमार	ग्राम- सुपटा, पो0- मऊ, थाना- टेकारी, जिला- गया ।	समाज सेवा		पिंकी कुमारी

RAM BILASH SINGH
NOTARY
Jehanabad, Bihar (India)

निभा कुमारी

7

1	2	3	4	5	6
5	श्रीमती चुमचुम देवी पति–श्री सतीश कुमार	ग्राम– नौगढ़, पो0– नेवारी, थाना– मखदुमपुर, जिला– जहानाबाद ।	समाज सेवा	सदस्य	
6	श्री किशोरी सिंह पिता–स्व0 सिद्धेश्वर सिंह	ग्राम– महुअरी, पो0– कमालपुर, थाना– टेकारी, जिला– गया ।	समाज सेवा	सदस्य	
7	श्रीमती इन्दु देवी पति–स्व0 जनार्दन शर्मा	ग्राम– कुँई, पो0– तुतुरखी, थाना– कोंच, जिला– गया ।	समाज सेवा	सदस्य	

(7)

№ 019129

संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

(ऐक्ट 21, 1860)

संख्या 2620 वर्ष 2011-12

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि "न्यू क्रिएटिव डेवलपमेंट फाउण्डेशन"
ग्राम- नौगढ़, पो०- नेवारी, थाना- मरवदुमपुर, जिला- गहानाबाद।
.....
.....

सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ/हुई।

आज तारीख 07 मास सितम्बर वर्ष दो हजार ग्यारह को पटना में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया।

संस्था निबंधन अधिनियम-21,1860 के अधीन निबंधन विभाग मात्र संस्था का निबंधन करता है। निबंधन को संस्था के वास्तव में कार्यरत होने या ना होने का प्रमाण या वित्तीय सक्षमता नहीं माना जाए।

वास्ते, महानिरीक्षक, निबन्धन, बिहार, पटना।

वि० स० मु० (निबन्धन), 1 —II—10,000-10-2011

पत्र संख्या-बी० एस०^{3}-10....3530/ 2011-3396

निबंधन महानिरीक्षक, बिहार का कार्यालय

(दाखिल करने का प्रमाण पत्र)

"ओ॰ बी॰ सी॰ डेवलॉपमेंट फाउंडेशन"

.....

.....

.....

पटना, दिनांक- 05/12/11

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित आलेख्य सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21, 1860 के उपबन्धों के अनुसार यथावत् दाखिल / निबंधित/ अभिलेखित किया गयां / किये गये।

फीस का ज्ञाप रु० 50/-(पचास रुपये) केवल।

संस्था स्मृति-पत्र/नियमावली एवं आम सभा का प्रस्ताव की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।

वास्ते महानिरीक्षक, निबंधन,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव,
"ओ॰ बी॰ सी॰ डेवलॉपमेंट फाउंडेशन"
ग्राम-नौगढ़, पो०-नैवारी, थाना-मरवट्टमपुर
जिला- जहानाबाद।

की सेवा में उनके पत्र संख्या 2/म दिनांक 22/11/11 के प्रसंग में अग्रसारित।

निबंधन प्रमाण पत्र संलग्न है, प्राप्ति की सूचना दें।

वास्ते महानिरीक्षक, निबंधन,
बिहार, पटना।

6. **पदाधिकारियों के कार्य एवं अधिकार :-**

अध्यक्ष

क- संस्था के प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करना ।

ख- कार्यवाही पंजी पर अपना हस्ताक्षर करना ।

ग- किसी विषय पर समान मत होने की स्थिति में अपने निर्णायक मत का उपयोग करना ।

घ- उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

सचिव

क- संस्था के प्रत्येक बैठक का आयोजन करना ।

ख- संस्था की ओर से पत्राचार करना ।

ग- पंजियों एवं कागजातों को सुरक्षित रखना ।

घ- आय-व्यय का लेखा बैठक में प्रस्तुत करना ।

ड- संस्था के निधि का अंकेक्षण कराना ।

च- कार्यवाही को कार्यवाही पंजी में लिखना एवं अध्यक्ष से हस्ताक्षर कराकर अपना हस्ताक्षर करना ।

छ- कार्यकारिणी समिति के राय से कर्मचारियों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी के आदेश पारित करना ।

ज- आवश्यकतानुसार अपने पास 5000/- रू0 तक रखना और विशेष खर्च के लिए समिति की बैठक से पास कराकर कार्य करना ।

झ- उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

कोषाध्यक्ष

क- संस्था के आय-व्यय का हिसाब रखना और सचिव के द्वारा आहूत बैठक में प्रस्तुत करना ।

ख- संस्था के सदस्यता शुल्क, प्रवेश शुल्क, दान, चन्दा आदि प्राप्त कर रसीद देना ।

ग- संस्था के कोष को किसी बैंक या डाकघर में संस्था के नाम से जमा करना ।

7. **कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कार्य :-**

7.1- संस्था के चल एवं अचल सम्पति का उत्तरदायी होगा ।

7.2- संस्था के सभी कार्यो का सम्पादन विधिवत करना तथा प्रस्ताव पारित करना ।

7.3- शाखा एवं उपशाखा का गठन करना ।

7.4- उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

10. नेत्रहीन, मूक, बधिर, शारीरिक रूप से विकलांग एवं मानसिक रूप से अर्द्धविकसित बच्चों, लोगों के शैक्षणिक विकास हेतु कार्य करना । उनके लिए कल्याणकारी कार्यों का सम्पादन करना । विकलांगता के रोकथाम हेतु कार्य करना ।
11. ऊर्जा के संरक्षण हेतु बायो गैस प्लांट, सौर ऊर्जा, ऊर्जा के गैर पारम्परिक स्रोतों की जानकारी देना एवं उपलब्ध कराना ।
12. पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु वृक्षारोपण एवं अन्य कार्यक्रमों का संचालन करना । ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में स्वच्छता अभियान का संचालन करना । लोगों को स्वच्छ पेयजल, शौचालय आदि उपलब्ध कराना ।
13. पंचायती राज, वयस्क मताधिकार, मानवाधिकार, सूचना के अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण आदि के बारे में लोगों को जानकारी देना एवं जागरूक करना ।
14. प्राकृतिक आपदा एवं अन्य आपातकाल में अनेकानेक जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन करना । प्राकृतिक प्रकोपों से पीड़ित जन समुदाय को हर संभव सहयोग करना ।
15. कृषि एवं बागवानी के विकास हेतु कृषकों को आधुनिक औजार, उन्नत बीज, उन्नत खाद, वर्मी कम्पोस्ट, सिंचाई के उपयुक्त साधन, जलछाजन, जलसंचयन, नलकूप, तालाब, पोखरा आदि उपलब्ध कराना । औषधीय पौधों के उत्पादन हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना । कृषक क्लब का संचालन करना ।
16. संस्था द्वारा वृद्धों, अनाथ बच्चों, विधवाओं, वेश्याओं, प्रताड़ित, परित्यक्ता, असहाय लोगों के लिए कल्याणकारी कार्यो का संचालन करना । उनके लिए आश्रय स्थल, भोजन, शिक्षा, चिकित्सा आदि उपलब्ध कराना । बाल-श्रमिकों के कल्याणार्थ कार्यक्रमों का संचालन करना उनके शिक्षा भोजन एवं पुनर्वास, सेवागृह की व्यवस्था करना । अस्पृश्यता निवारण हेतु व्यापक स्तर पर कार्य करना ।
17. बेसहारा पशुओं की समुचित देख-रेख एवं चिकित्सा की व्यवस्था करना एवं रक्षा हेतु अभियान चलाना ।
18. पुस्तकालय, वाचनालय, संगीतालय का संचालन करना । पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन वितरण एवं संग्रह करना । नाटक, नृत्य, संगीत, वाद्य का प्रशिक्षण देना ।
19. राष्ट्रीय एकता, आपसी सद्भावना, धर्म निरपेक्षता के लिए लोगों को जागरूक करना जातीय भेद-भाव को समाप्त करने हेतु सभी प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन करना ।